

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937

No. 19]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/PAUSA 24, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2016

विषय : यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1500 सिरीज और 1700 सिरीज की स्टीरिन बूटाडीन रबड़ (एसबीआर) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 14/10/2015-डीजीएडी.- यतः मै. इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्रा.लि. और रिलाइन्स इंडस्ट्रीज लि. (जिन्हें इसके बाद आवेदक कहा गया है) ने वर्ष 1975 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इससे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद में प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन दायर किया है जिसमें यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1500 सिरीज और 1700 सिरीज की स्टीरिन बूटाडीन रबड़ (एसबीआर) (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के कथित पाटन के संबंध में तथा विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

2. इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्रा.लि., इंडियन आयल कारपोरेशन, टी एस आर सी, ताइवान और मारुबेनी कारपोरेशन जापान का एक संयुक्त उद्यम है। कंपनी ने बताया है कि उसने फरवरी, 2014 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी ने यह दावा किया है कि देश में विचाराधीन उत्पाद के पाटन से देश में घरेलू उद्योग की स्थापना में वस्तुतः बाधा उत्पन्न हो रही है। सह-आवेदक मै. रिलाइन्स इंडस्ट्रीज लि. ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र की स्थापना भी की है, लेकिन बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने के बावजूद अपने वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा अभी करनी है।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पार यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1500 सिरीज और 1700 सिरीज की स्टीरिन बूटाडीन रबड़ (एसबीआर) है। इसे उप-शीर्षक 40002.19 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय 40 के अधीन वर्गीकृत किया है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह किसी भी प्रकार से कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है। एसबीआर अनिवार्य रूप से स्टीरिन और बूटाडीन का एक कोपालीमर है। आवेदकों ने यह निवेदन किया है कि एसबीआर में स्टीरिन और बूटाडीन से प्राप्त सिंथेटिक रबड़ों के एक वर्ग के रूप में वर्णन किया जाता है। इन सामग्रियों की योगजों से सुरक्षा की जाती है तब इनमें अच्छी अपघर्षण रोधी और अच्छी संरक्षण स्थिरता होती है। इन दोनों मानोमरों के मिश्रण को दो प्रक्रियाओं-विलेयन (एस-एसबीआर) से अथवा एक मिश्रण (ई-एसबीआर) के रूप में बहुरूपी बनाया जाता है।"

4. एसबीआर 1500 सिरीज साइडवाल, फुटवियर, रबड़ युक्त फ्रैब्रिक, अन्य हल्के रंगीन उत्पादों, नॉन-स्टेनिंग टाइप काले उत्पादों, टायरों, धागे, कन्वेयर बैल्ट, हौज और जूतों में प्रयोग में लाया गया एक एसबीआर होता है, जबकि एसबीआर 1700 सिरीज का टायरों, वाटर-पाइपों, रबड़ के मशीनरी उत्पादों, आटो के सहायक पाइपों, रबड़ के मशीनरी उत्पादों, आटो के सहायक सामानों, कैमलबैक, कन्वेयर बैल्ट, हौज और अन्य काले उत्पादों में उपयोग किया जाता है। आवेदकों ने यह निवेदन किया है कि एसबीआर 1500 और 1700 का परस्परव्यापी उपयोग होता है। उदाहरणार्थ, एसबीआर के 1712 ग्रेड को 1500 ग्रेड से और 1500 तथा 1700 सिरीज के अंतर्गत आने वाली रबड़ के बहुत से अन्य ग्रेडों से, यहां तक कि टायर ग्रेड (धागे) के अनुप्रयोग से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार, एसबीआर के 1502 ग्रेड को 1500 से और विभिन्न अनुप्रयोगों में 1500 और 1700 सिरीज के अंतर्गत आने वाली रबड़ के बहुत से अन्य ग्रेडों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसा कि आवेदकों के द्वारा बताया गया है, एसबीआर 1500 सिरीज और एसबीआर 1700 सिरीज की उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य के बीच में काफी अंतर होता है।

समान वस्तु

5. आवेदक ने यह दावा किया है कि याचिकाकर्ता के द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में अंतर नहीं पाया जाता है। दोनों ही उत्पाद वास्तविक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसे पैरामीटरों के आधार पर तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तुएं अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के आधार पर संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों से आयात की जा रही वस्तुओं के समान होती हैं।

घरेलू उद्योग की स्थिति

6. मै. इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्रा.लि. और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन दायर किया गया है। आवेदकों को देश में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक बताया गया है और उसके बारे में देश में संपूर्ण उत्पादन करने के लिए उत्तरदायी है और भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनते हैं। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के अनुसार घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 के अनुसार पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।

सम्मिलित देश:

7. वर्तमान जांच में शामिल देश यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड हैं।

सामान्य मूल्य

8. आवेदकों ने संबद्ध देशों के सामान्य मूल्यों के बारे में दावा किया है जिसमें यह बताया गा है कि वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू मूल्यों के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में असमर्थ थे। आवेदकों ने प्रमुख कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का उचित समायोजन करने के बाद भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का बिक्री सहित उत्पादन लागत, सामान्य प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यय और उचित लाभ के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है।

निर्यात कीमत :

9. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का डीजीसीआईएस और अन्य गौण संसाधनों से आवेदकों के द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार सौदेवार आयात आंकड़ों पर विचार करके अनुमान लगाया गया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन और पत्तन प्रभारों के लिए निर्यात कीमतों में कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समायोजन किया गया है।

पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत कीमत से तुलना की गई है, जो संबद्ध देशों के बारे में सकारात्मक पाटन मार्जिन को प्रदर्शित करता है। इस बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त प्रमाण हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य कारखानागत निर्यात

कीमत से अधिक होते हैं तथा प्रथमदृष्टया यह प्रदर्शित करता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन अत्यधिक होने का अनुमान है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

11. वर्तमान जांच में घरेलू उत्पादकों मै0 इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्रा0 लि0 और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि0 ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए नई सुविधाओं की स्थापना की है। जबकि मै0 इंडियन सिंथेटिक रबड़ प्रा0 लि0 ने जांच अवधि शुरू होने से ठीक पहले वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है, मै0 रिलायंस इंडस्ट्रीज लि0 को अपने वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा करनी है, परंतु उन्होंने घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री शुरू कर दी है।

12. आवेदकों ने यह दावा किया है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना को वस्तुतः क्षति हो रही है। उन्होंने इस अवधि की क्षति से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों के बारे में सूचना दी है जिनका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने अपने संयंत्रों की स्थापना करने से पूर्व उनके द्वारा लगाए गए अनुमानों के आधार पर अपनी-अपनी क्षमता के निष्पादन के संबंध में वस्तुतः सूचना उपलब्ध करायी है और जांच अवधि तक प्राप्त किए गए वास्तविक निष्पादन के साथ अपनी क्षमता संबंधी निष्पादन की तुलना अपने-अपने इस दावे की पुष्टि करने के लिए की है कि उनका निष्पादन, संयंत्रों की स्थापना करने से पूर्व परिकलित क्षमता स्तरों से काफी कम है। व्यापक पैरामीटरों का विश्लेषण प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के विलंबित प्रभाव की वजह से आवेदकों को क्षति हुई है।

पाटनरोधी जांचों की शुरुआत

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

जांच की अवधि

14. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2014 से 31 सितंबर, 2015 (12 महीने) तक की है तथापि, क्षति विश्लेषण अवधि में ये अवधियां शामिल होंगी। क्षति की अवधि-उत्पादन के शुरू होने की तारीख अर्थात् फरवरी, 2014 से जांच अवधि तक होगी, जो क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष को 4 तिमाहियों में विभाजित करके निकाला जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समयसीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

17. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई करने संबंधी कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी प्राप्त होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के बारे में की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां दें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. प्रश्नावली के उत्तरों/निवेदनों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा करने के मामले में इस दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए - (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप से अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) दी गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित कर देना चाहिए।

20. गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को प्राधिकारी के द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा गोपनीय वृत्तांतों की 2-2 प्रतियां और अगोपनीय वृत्तांतों की 5-5 प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

21. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है और/अथवा ऐसी सूचना का संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।

22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु के समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, विषय परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

24. सार्थक गोपनीयता रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकता है अथवा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए.के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2016

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series, originating in or exported from European Union, Korea RP and Thailand.

No.14/10/2015-DGAD.—Whereas M/s Indian Synthetic Rubber Pvt. Limited and Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the applicants) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the

Rules), alleging dumping of Styrene Butadiene Rubber (SBR) 1500 series and 1700 series (herein after referred to as the subject goods) originating in or exported from European Union, Korea RP and Thailand (hereinafter referred to as "subject countries") and requested for initiation of Anti Dumping investigation for levy of anti dumping duties on the product under consideration.

2. Indian Synthetic Rubber Pvt. Limited is a joint venture of Indian Oil Corporation, TSRC, Taiwan and Marubeni Corpn., Japan. The Company is stated to have commenced commercial production in Feb., 2014. The company has claimed that the dumping of the product under consideration in the country is materially retarding establishment of domestic industry in the Country. M/s Reliance Industries Ltd., the co-applicant, has also set up a plant for production of the product under consideration, but yet to declare its commercial production, although selling subject goods in the market.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is "Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series", originating in or exported from European Union, Korea RP, and Thailand. It is classified under Chapter 40 of Customs Tariff under the subheading 4002.19. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. SBR is essentially a copolymer of styrene and butadiene. The applicants have submitted that SBR describes a family of synthetic rubbers derived from styrene and butadiene. These materials have good abrasion resistance and good aging stability when protected by additives. SBR is derived from two monomers, styrene and butadiene. The mixture of these two monomers is polymerized by two processes – from solution (S-SBR) or as an emulsion (E-SBR).
4. SBR 1500 series is an SBR used in sidewall, footwear, rubberized fabric, other light coloured products, non-staining type black products, tires, tread, conveyor belt, hose and shoes, while SBR 1700 series is used in tire, water pipes, rubber machinery products, auto accessories, camelback, conveyor belt, hose and other black products. Applicants have submitted that SBR 1500 and 1700 have overlapping use. For instance 1712 grade of SBR can be substituted with 1500 grade and many other grades of rubber falling under 1500 and 1700 series even in tyre tread application. Similarly, 1502 grade of SBR can be substituted with 1500 and many other grades of rubber falling under 1500 and 1700 series in various applications. As stated by the applicants, there is no significant difference in the costs and prices of different grades within SBR 1500 series and SBR 1700 series. However, there is significant difference in cost of production and selling price of SBR 1500 and SBR 1700 series.

LIKE ARTICLE

5. The applicant has claimed that there are no known differences in subject goods produced by the petitioner and exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject countries in terms of essential product properties. The goods offered by the domestic industry are like article to the goods imported from the subject countries.

DOMESTIC INDUSTRY STANDING

6. The application has been jointly filed by M/s. Indian Synthetic Rubber Pvt. Limited and Reliance Industries Limited. The applicants are stated to be sole producers of subject goods in the country and thereby account for the entire production in the country and constitute a major proportion in Indian production. The Authority, therefore, determines that the applicants constitute domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

SUBJECT COUNTRIES INVOLVED

7. The countries involved in the present investigation are European Union, Korea RP and Thailand.

NORMAL VALUE

8. The applicants have constructed the normal values in respect of the subject countries stating that they were unable to get any documentary evidence or reliable information with regard to the domestic prices of the subject goods in the subject countries. The applicants have claimed the normal value on the basis of cost of production in India after due adjustments for the international price of the major raw material. The normal value for the subject goods has been estimated on the basis of best estimates of cost of production, including selling, general, administrative & finance expenses and reasonable profit.

EXPORT PRICE

9. Export price of the subject goods from the subject countries has been estimated by considering transaction-wise import data as provided by the applicants from the DGCIS and other secondary sources. Adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, and port expenses in the exporting country to arrive at ex-factory export price.

DUMPING MARGIN

10. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows positive dumping margin in respect of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in subject countries is higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above *de minimis*.

INJURY AND CAUSAL LINK

11. M/s Indian Synthetic Rubber Pvt. Limited and Reliance Industries Limited, the applicant domestic producers in the present investigation, have set up new facilities for production of the product under consideration. While M/s Indian Synthetic Rubber Pvt. Limited has commenced commercial production just before the investigation period, M/s Reliance Industries Limited is yet to declare its commercial production, though started selling the product under consideration in the domestic market.
12. The applicants have claimed that dumping of the product under consideration in India is materially retarding the establishment of the domestic industry. They have furnished information on various parameters relating to injury for the period for which commercial production has been commenced. Further, the applicants have provided detailed information with regard to their potential performance on the basis of projections drawn by them before setting up their plants and have compared their potential performance with the actual performance achieved till the investigation period to establish their claim that their performance is substantially below the potential levels envisaged before setting up the plants. The analysis of the vital parameters prima facie show that the applicants have suffered injury on account of the retarding effect of dumping of the subject goods from the subject countries.

INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

13. In view of the above the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist and therefore the Authority, in terms of Rule 5 of the Anti Dumping Rules hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and recommend the amount of anti dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

14. The period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st October 2014- 31st September 2015 (12 months). The injury investigation period will, however, cover the periods. The injury period shall be from the date of commencement of production, i.e., February 2014 and upto POI, by dividing each financial year into four quarters for the purpose of injury analysis.

Submission of information

15. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

17. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is

incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

19. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
20. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.
21. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

25. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

26. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A.K. BHALLA, Designated Authority